I/34315/2020

Received
Office of GM (FBP)
Dy No. 1083
Date 03/03/2020

मिसिल सं: ए-28011/3/2018-ई-।।। अनुभाग

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 17.02.2020

सेवा में

।. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव

2. संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत सभी संगठन

विषय: फरक्का बैराज परियोजना में संविदा आधार पर "सलाहकार" की नियुक्ति

महोदय,

मुझे संविदा आधार पर दो (02) सलाहकारों की तैनाती हेतु सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मंगवाने का निदेश हुआ है। इन सलाहकारों की भर्ती के विस्तृत निबंधन और शर्तें, पात्रता मानदण्ड और अन्य ब यौरे निम्नानुसार हैं।

1	संविदा आधार पर भर्ती किए जाने वाले सलाहकारों की संख्या	02 (दो)
2	आयु सीमा	आवेदन करने की तारीख तक आयु अधिकतम 65 वर्ष
3	कार्य करने का स्थान	1.सलाहकार (प्रशासन):फरक्का, जिला- मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 2.सलाहकार (खरीद और संपर्क) : कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4	पात्रता	अनुलग्नक-। में दिए गए अनुसार
5	संविदा की अवधि	
6	कार्य	
7	अन्य निबंधन और शर्तें	अनुलग्नक-।। में दिए गए अनुसार

2. ऐसे व्यक्ति, जो इस पद पर तत्काल कार्य करने के इच्छुक हैं, वे संलग्न प्रपत्र में पीपीओ की एक प्रति सहित सादे कागज में अपने आवेदन अवर सचिव (ई-।।।), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, कमरा नं.-625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली -110001 को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

3. कृपया इसे अपने संगठन की विभिन्न यूनिटों में परिचालित करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

(एस.बी. पाण्डेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23714350

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम. नई दिल्ली - 110022
2. महा प्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742212

3. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह संलग्न विज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(एस.बी. पाण्डेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-23714350

1. **सलाहकार (प्रशा.)**

(i) केन्द्र सरकार से उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो; या

(ii) उपसचिव के पद पर पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

2. **सलाहकार (खरीद और संपर्क)**

(i) केन्द्र सरकार से कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद से सेवानिवृत्त हो।

(ii) अवर सचिव के पद पर तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

इन कार्यों का अनुभव हो, (i) सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति (ii) विभिन्न सरकारी विभागों के साथ संपर्क कार्य किया हो (iii) वीआईपी/उच्चतर सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों के सहायक रहे हों ; और (iv) न्यायालय/सीएटी मामलों में सरकारी वकीलों के साथ संपर्क रहा हो।

कर्त्तव्य और दायित्व

1. परामर्शदाता (प्रशा.) - वह फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करेगा और उसे सलाहकार (प्रशासन) का पद दिया जाएगा। उसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कर्त्तव्यों के साथ-साथ महा प्रबंधक, एफबीपी, जो एफबीपी विभाग के प्रमुख हैं, के द्वारा अतिरिक्त दायित्वों का भार दिया जा सकता है। उपर्युक्त नियुक्ति के दौरान, महा प्रबंधक एफबीपी उनके रिपोर्टिंग/नियंत्रक अधिकारी होंगे। जैसाकि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को करने की आवश्यकता होगी सलाहकार (प्रशासन) को अन्य संगठनों को एफबीपी के लिए और उनकी ओर से पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद का कार्य करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों के साथ वे संपर्क कार्यों को पूरा करेंगे और एफबीपी और कोलकाता और पश्चिम बंगाल की यूनियन ऑफ इंडिया के न्यायालय/सीएटी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वे कोलकाता में वीआईपी/उच्च अधिकारी कार्यकलापों के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी के दायित्वों का पालन करेंगे और कोलकाता में एफबीपी गेस्ट हाऊस के कार्यकरण में महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा दिए गए किन्हीं अन्य कार्यों को पूरा करने में सहायता करेंगे। इस सलाहकार के लिए महाप्रबंधक एफबीपी नियंत्रण अधिकारी होंगे। सलाहकार (खरीद और संपर्क), कोलकाता कार्यालय से एफबीपी के लिए और उनकी ओर से अन्य संगठनों को पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

नियुक्ति का स्थान:

1. सलाहकार (प्रशा.)- फरक्का बैराज परियोजना, पी.ओ. फरक्का बैराज, से मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल-742212.

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): खरीद और संपर्क कार्यालय, फरक्का बैराज परियोजना, जीई-2, सेक्टर-III सालट लेक, कोलकाता, पिन 700106.

परिलब्धियां:

आहरित अंतिम वेतन का 50% (पेंशन+किसी भी मामले में बिज्ञापित कंसल्टेंसी का पारिश्रमिक लिए गए आखिरी मूल वेतन से अधिक नहीं होगा)

अनुलग्नक-।।

सलाहकार की उपर्युक्त नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन व शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगे-

7. सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से परामर्श की आंरभिक अवधि 12 माह की होगी, जिसे तीन वर्षों तक या परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष की होने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर बढाया जा सकता है।
8. एफबीपी में इन सलाहकारों की नियुक्ति को पुन: रोजगार का मामला नहीं माना जाएगा, जबकि इसे पूर्णत: संविदा आधार पर समझा जाएगा और यह एफबीपी में न तो एक नौकरी है और न ही नौकरी का कोई वादा है।
9. सलाहकार के रूप में इस नियुक्ति से इस पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावे को करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
10. इन सलाहकार/सलाहकारों को एफबीपी के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए रखा जाएगा और (संविदा की अवधि के दौरान) वे कोई अन्य पद, वेतन, या अन्य प्रकार से किसी अन्य निजी संगठन के साथ संलग्न नहीं होगे।
11. ये सलाहकार जीएफआर, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे और संविदा की पूर्ण अवधि के लिए समय-समय पर अन्य दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कोई अन्य भत्ता (डीए, एचआरए, किराया या कोई अन्य भत्ता/सहायता आदि) नहीं दी जाएगी। ये सलाहकार किसी अन्य सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
12. सेवा के दौरान, ये सलाहकार केन्द्र सरकार के उन सभी नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सामान्य सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।
13. इन सलाहकारों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी यात्राओं के लिए टीए/डीए दिया जाएगा।
14. ये सलाहकार, एक कैलेंडर वर्ष में आठ (08) दिन की छुट्टियों के हकदार होंगे और यदि उनकी अनुपस्थिति आठ दिनों से अधिक होगी तो उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेण्डर वर्ष तक नहीं बढाया जाएगा।
15. काम के घंटे, एफबीपी के सरकारी काम के घंटे होंगे परन्तु महा प्रबंधक, एफबीपी के आदेशानुसार, यदि पारिस्थितिगत आवश्यकता होगी, तो इन सलाहकार/सलाहकारों को सामान्य काम के घंटों से अधिक बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार/राजपत्रित छुट्टियों को भी बुलाया जा सकता है।
16. महा प्रबंधक, एफबीपी की लिखित मंजूरी के बिना इस संविदा के उद्देश्य से और संविदा की अवधि के दौरान समग्र रूप से एकत्र किए गए डाटा के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ-साथ एफबीपी के लिए निर्मित सुपुर्दगियों (डेलीवरेबुल्स) का प्रयोग या प्रकाशन या खुलासा समग्र के रूप में किसी पार्टी को या डाटा के किसी भाग या आंकडों या कार्यवाहियों या प्राप्त की गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा।
17. भुगतान को जारी करने से पहले वर्तमान नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर काट लिया जाएगा, जिसके लिए एफबीपी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करेगा।
18. एफबीपी द्वारा संविदा की समाप्ति से पहले और अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले संविदा अवधि की समाप्ति/समापन पर ये सलाहकार असाइनमेंट के सभी रिकोर्डों को एफबीपी को दिए जाने के लिए बाध्य होंगे।,
19. ये सलाहकार, किसी भी ऐसे मामले में प्रतिनिधित्व करेंगे अथवा किसी व्यक्ति को अपने विचार अथवा सलाह नहीं देंगे जो एफबीपी के विशेष रूप से और सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के हित के विपरीत हैं।
20. बातचीत, मध्यस्थता और कानूनी माध्यम के द्वारा भी सभी विवादों के समझौते का स्थान कोलकाता/फरक्का होगा और इन सलाहकारों के लिए केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

21.एक माह का नोटिस देकर महाप्रबंधक, एफबीपी संविदा को समाप्त कर सकते हैं, यदि:

i. सलाहकार दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो,

ii. दिए गए कार्य की गुणवत्ता महाप्रबंधक, एफबीपी के लिए संतोषजनक नहीं हो।

iii.ये सलाहकार महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा पर काम को पूरा करने में असमर्थ हों।

iv.इन सलाहकार/सलाहकारों में सच्चाई और निष्ठा का अभाव हो;

7. महाप्रबंधक, एफबीपी के पास, सलाहकार को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और सलाहकार को दिए गए लिखित नोटिस के द्वारा यह समापन किया जाएगा और इस प्रकार का नोटिस 30 दिनों में प्रभावी होगा।

8. जिस कार्यालय से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है, वहां से यदि कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है तो उसे लेना आवेदक का दायित्व होगा।